



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062021-227543
CG-DL-E-12062021-227543

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2104]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 11, 2021/ज्येष्ठ 21, 1943

No. 2104]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 11, 2021/ JYAISTHA 21, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2021

का.आ. 2264(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, गोरखपुर (NH227A) के कि.मी. 90 से 130, गोरखपुर (NH227A) के कि.मी. 90 से 130 उत्तर प्रदेश राज्य के तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH227A पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	एसडीएम	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH227A के कि.मी. 90 से 128.87 तक	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	खजनी	1 झौवा बुजुर्ग
						2 झौवा खुर्द
						3 सतौरा
						4 फत्तेहपुर
						5 धनौजी
						6 मठविक्रम
						7 सिकरीडीह खुर्द
						8 सिकरीडीह बुजुर्ग
						9 डंडिहथ
						10 मलौव
						11 लालमनपुरा
						12 हरिजनपुर
						13 हरदत्तपुर
						14 कुई
						15 पिपरा खुर्द बुजुर्ग
						16 साउडीह खुर्द
						17 महुई बुजुर्ग
						18 महुई खुर्द
						19 चकखान मोहम्मद
						20 बभनपुरा तप्पा उसरी
						21 खडहादेउर

[फा. सं. NH-227A-LA- 2020-21]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2021

S.O. 2264(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages

mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of Km. 90 to 130 of Gorakhpur (NH227A) , 90 to 130 of Gorakhpur (NH227A) in the State of UTTAR PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH227A in the State of UTTAR PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	SDM	90KM To 128.87KM	UTTAR PRADESH	GORAKHPUR	Khajni	1Jhowa Bujurg
						2Jhowa Khurd
						3Satora
						4Fatehpur
						5Dhanauji
						6Math Vikram
						7Sikrideeh Khurd
						8Sikrideeh Bujurg
						9Idihath
						10Mallow
						11Lalmanpura
						12Harijanpur
						13Hardattpur
						14Cui
						15Pipra Khurd Bujurg
						16Soudeeh Khurd
						17Mahui Bujurg
						18Mahui Khurd
						19Chakkhan Mohammed
						20Babhanpura Tappa Usri
						21Khadahadeur

[F. No. NH-227A-LA- 2020-21]

RAJESH GUPTA, Director